

ज्ञारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साकारता विभाग

अधिसूचना

संविका सं-०-४/आ०-१७/२०२१/..... २५१३/ राँची, दिनांक- ०२-११-२०२२

श्री अरविन्द कुमार (राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-२), तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिढीह, जिन्होंने विभागीय अधिसूचना सं-२१०३ दिनांक- २०.१०.२०२१ के द्वारा विलंबित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से विलंबन मुक्त किया जाता है।

२. श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने वाले विर्णय लिया गया है।

३. विभागीय कार्यवाही हेतु अलग से विभागीय संकल्प निर्गत की जाएगी।

४. विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर श्री अरविन्द कुमार के विलंबन अवधि के संबंध में विर्णय संसूचित की जाएगी।

Final
9
11.11.22

ज्ञारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(छमुद सहाय)
02.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।

जापांक- २५१३

राँची, दिनांक- ०२-११-२०२२

प्रतिलिपि- विभागीय बोडल पदाधिकारी ई० गजट को सरकारी गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ विभागीय बोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(४)
02.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।

जापांक- २५१३

राँची, दिनांक- ०२-११-२०२२

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०), ज्ञारखण्ड, राँची/ उप सचिव, योजना-सह-विज्ञ (वि०दा०वि०को०) विभाग, ज्ञारखण्ड, राँची को राज्यार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(४)
02.11.22
सरकार के संयुक्त राजिव।

४०४०३०

लापांक- २५१३

राँची, दिनांक- ०२-११-२०२२

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गिरिहीह/ कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

०२.११.२२

सरकार के संयुक्त सचिव।

लापांक- २५१३

राँची, दिनांक- ०२-११-२०२२

प्रतिलिपि- मानवीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय सचिव के आप्त सचिव/ निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची/ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची/ उपायुक्त, गिरिहीह/ विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशासा-१/ क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उच्चरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/ क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिहीह/ श्री अरविन्द कुमार (राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-२), तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिहीह (मुख्यालय- क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा का कार्यालय) को यूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

०२.११.२२

सरकार के संयुक्त सचिव।